पुणे में 20,000 वर्ग में फैली यह भव्य इमारत पेशवा शैली के स्थापत्य का अनुपम उदाहरण हैं। इस शानदार इमारत का सबसे अदभुत भाग है इसकी बालकनी। इस इमारत को विश्रामबाग वाड़ा कहते हैं और पेशवा वंश के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय यहां रहते थे। हालांकि पेशवा शनिवार वाड़ा में रहते थे लेकिन बाजीराव द्वितीय ने निवास के लिए विश्रामबाग वाड़ा को चुना और 11 साल तक यहां रहे। यह इमारत 1810 में बनी थी। बाद के वर्षों में यह कई कार्यों के लिए प्रयुक्त हुई। ब्रिटिश काल में यहां संस्कृत शिक्षा केन्द्र चलता था। सन् 1930 से 1960 तक इस इमारत में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस था। आज यहां पोस्ट ऑफिस व कई सरकारी कार्यालय हैं। चूंकि यह तीन मंजिला इमारत है इसलिए इसे तीन चौकी वाड़ा भी कहते हैं। यहां के नक्काशी दार स्तम्भ सागवान की लकड़ी के हैं। इमारत में बड़े -बड़े चौक हैं जहां से भवन का ढांचा और स्थापत्य देखा जा सकता है। परिसर के अंदर कांच के शोकेस हैं, जिनमें पुणे की जानी मानी इमारतों, जैसे युनिवर्सिटी बिल्डिंग, महात्मा फुले मंडाई, तुलसी बाग राम मंदिर, ओहैल डेविड सिनगॉग, पुणे के आर्काइव विभाग की बिल्डिंग आदि की प्रतिकृतियां रखी हैं। यह विशाल इमारत पुणे के समृद्ध इतिहास की झलक देती है। वर्ष 1811 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यह बिल्डिंग बनवाई थी। विशाल प्रवेश द्वार पर सागवान की लकड़ी के नक्काशीदार खम्भे हैं जो आज भी बेहद मजबूत हैं। सायप्रस वृक्षों के आकार के स्तम्भ, अलंकृत छतें, पत्थर का फर्श और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ बनी सागवान लकड़ी की गैलरी, देखने वाले को बाजीराव के दौर में ले जाती है। पहली मंजिल पर विशाल दरबार हॉल है जिसकी छत पर बहुत सुंदर नक्काशी है, यहां बड़े-बड़े झाड़फानूस तथा सागवान की लकड़ी के स्तम्भ हैं। इमारत की सुंदर बालकॉनी पर अब किसी को जाने की अनुमति नहीं है, पर सुनते हैं कि यहां बाजीराव के संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे।

गुजरात में पूर्व मु.मंत्री विजय रूपाणी व उनके पांच वरिष्ठ सहयोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे

रूपाणी के अलावा पूर्व उप मु.मंत्री. नितिन पटेल, भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमा, सौरभ पटेल और प्रदीप सिंह जड़ेजा ने भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की

- **विजय रूपाणी ने कहा, मैंने सभी के सहयोग से पांच साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने वरिष्ठ नेताओं को पत्र भेजकर दिल्ली को अवगत करा दिया है।**
- **भूपेन्द्र सिंह चुड़ासमा ने कहा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता को बता दिया है। मैंने तय किया है कि, अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। मैं अब तक 9 बार चुनाव लड़ चुका हूँ।**

अहमदाबाद, 9 नवम्बर। गुजरात चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वहीं, नितिन पटेल ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटिल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अतिरिक्त रुपाणी के करबी चार अन्य मंत्रियों एवं वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मैंने सभी के सहयोग से पांच साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली को अवगत करा दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। नितिन भाई पटेल ने कहा कि इस बार नए कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए मैं और विजय रुपाणी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

इन दोनों के अलावा कुछ अन्य भी नाम सामने आए हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। जैसे विजय रुपाणी सरकार के मंत्री मंडल में शिक्षा और राजस्व मंत्री रहे भुपेन्द्र सिंह चुडासमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबरों की मानें तो विजय रुपाणी, नितिन पटेल और भूपेंद्र चुडासमा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही विजय रूपानी सरकार में मंत्री रहे सौरभ पटेल और प्रदीपसिंह जडेजा के भी चुनाव लड़ने की संभावना कम है।

भूपेन्द्र सिंह चुडासमा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता को बता दिया है। मैंने तय किया है कि अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। मैं अब तक 9 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं।

वहीं दूसरी ओर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओ.पी.माथुर बुधवार शाम भाजपा कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इस बैठक में शामिल हुए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि, इस दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

गहलोत इतने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में थे, तो वे शिमला ही पहुँच गये।

उन्होंने सोनिया गांधी से समय लेने तथा उनके साथ खड़गे से मिलने की भी कोशिश की लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली।

जब से दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित हुई है तथा उससे सोनिया गांधी को साँस लेने में परेशानी महसूस हुई है, वे मशोबरा-स्थिति प्रियंका गांधी के निवास में ही रुकी हुई हैं।

प्रियंका गांधी इस समय हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रही हैं क्योंकि राहुल, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे होने के कारण, वहाँ प्रचार के लिये नहीं जा सके हैं।

गहलोत ने 11 बार विधायक रहे आदिवासी नेता रथवा के साथ मीटिंग की, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ ही दी।

जाहिर है, गहलोत उन्हें पार्टी में बने रहने के लिये राजी नहीं कर सके।

यह अशोक गहलोत के कार्यक्रम का एक नमूना मात्र है, जो यह संकेत देता है कि वे गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं तथा वे इनका उपयोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कुछ समय और टिके रहने के लिये कर रहे हैं।

शिवसेना नेता संजय राउत सौ दिन बाद जेल से रिहा हुये

मनी लॉण्डरिंग के मामले में स्थानीय विशेष अदालत और मुंबई हाई कोर्ट दोनों ने संजय राउत की जमानत मंजूर की

- **राउत को बुधवार करीब 7 बजे मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। शिवसेना नेताओं ने कहा है कि, जेल से निकलने के बाद राउत को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।**

मुंबई, 9 नवम्बर (वार्ता)। मुंबई में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े मनी लॉण्डरिंग मामले में बुधवार को एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को जमानत दे दी। इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट से भी संजय राउत की जमानत मंजूर हो गई। जमानत मिलने के बाद राउत को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। राउत को शाम करीब 7 बजे जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद राउत को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

सांसद संजय राउत एक सौ दिनों तक जेल में रहे और आर्थर रोड जेल में ही दशहरा और दिवाली मनाई।

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दो नवम्बर को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अपना आदेश सुनाया। न्यायाधीश ने उसी मामले के सह-आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दी और दोनों को दो-दो लाख रुपये की जमानत देने के लिए निर्देश दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया ताकि ईडी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सके। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने ईडी की याचिका पर बहस करते हुए प्रस्तुत किया। कहा हमें आदेश पढ़ने के लिए समय चाहिए, यह एक अनुचित अनुरोध नहीं है। यह अदालत का आदेश है, उसे यह कहने की शक्ति है कि आदेश को बाद की तारीख में प्रभावी किया जाए। अदालत से शुक्रवार तक का समय मांगा। फिलहाल, अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।

राउत को इस मामले में 31 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया गया था।

नोटबंदी पर जवाब पेश नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार से बेहद नाराज हुआ

- **केन्द्र सरकार जवाब पेश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से अभी और समय देने की मांग कर रही थी**
- **सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार को अगले एक हफ्ते की मोहलत दी है और सरकार से जल्द से जल्द जवाब पेश करने के लिए कहा है।**
- **सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली करीब 50 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है। इस मामले में पिछली सुनवाई गत 12 अक्टूबर को हुई थी।**

नई दिल्ली, 9 नवम्बर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत हलफनामा दायर करने के निर्देश पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.) के अमल नहीं करने और एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग करने पर बुधवार को उनके प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर.गवई, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरथ्ना की संविधान बैंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के अनुरोध पर मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया, लेकिन एक सप्ताह के भीतर हलफनामा विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय की मांग करते हुए पिछले निर्देश पर ऐसा नहीं कर पाने के लिए पीठ से माफी मांगी।

बैंच ने इस सुनवाई स्थगन की स्थिति को 'शर्मनाक' बताते हुए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का फिर निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने स्थगन की अनुमति देने और अगली सुनवाई के लिए 24 नवम्बर की तारीख मुकर्रर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि सरकार और आरबीआई को एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा जमा करना होगा। न्यायमूर्ति नजीर अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,आम तौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी भी स्थगित नहीं होती है। हम कभी ऐसे नहीं उठते। यह अदालत के लिए भी बहुत शर्मनाक है।

विद्याधर नगर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कॉलोनियां कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सहकारी समितियों द्वारा काटी गई हैं। उन्होंने कहा कि जेडीए अगर जेम्स कॉलोनी का नियमितकरण नहीं करना चाहती तो वह जयपुर में अवैध रुप से बनी सभी कॉलोनियों को ध्वस्त क्यों नहीं कर देती और क्यों इन्हीं अवैध कॉलोनियों का नियमितिकरण करती है।

विमल चौधरी ने हाईकोर्ट में कहा कि वे पहले भी जनहित याचिका दायर कर सरकार को सरकार की ही जमीन दिलवा चुके हैं। मिसाल के तौर पर जयसिंहपुरा, जहां 75 बीघा जमीन अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकार को वापस दिलाई। पृथ्वीराज नगर में कई बीघा जमीन लौटाई है और भट्टा बस्ती में से अवैध अतिक्रमण को हटवाया है, परंतु जेडीए सेंट्रल पार्क की जमीन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्क की जमीन घोषित किया है उस पर पहले तो बिना लैण्ड यूज चेंज किये होटल बनाने की अनुमति दे देती है और फिर उसी जमीन पर म्यूजियम बनाने की अनुमति भी दे देती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मकान जेडीए के अनुसार अतिक्रमण की गई जमीन पर निर्मित हो, परंतु इस जनहित याचिका में उन्होंने अपनी कॉलोनी को नियमितकरण कराने की गुहार हटा दी है। अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि जेडीए अब से हर माह अतिक्रमण हटाने के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ पत्र सहित अदालत में पेश करेंगे और अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करने के लिये पोर्टल भी बनाएंगे और हैल्पलाइन नम्बर भी जारी करेंगे। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि अगर हर माह रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो वे जे.डी.ए. अफसरों को "बुलाएंगे नहीं भेजेंगे।"

'आज़म खान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा कि "तत्काल डिसक्वालिफिकेशन के लिये लोगों का चयन नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ अन्य मामलों में, लोगों को काफी देर से अयोग्य ठहराया गया है। चिदंबरम ने दलील दी थी कि 27 अक्टूबर को एक केस में खान की दोष-सिद्धि होने के बाद, उसके अगले दिन ही राज्य विधान सभा ने उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया था चिदंबरम ने कहा, "इतनी तेज कार्यवाही अभूतपूर्व थी।" उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही राजनीति प्रेरित थी।

खान को अयोग्य घोषित कर दिये जाने के बाद, राज्य भाजपा, रामपुर विधानसभा सीट तथा मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट दोनों को ही सपा से छीन लेने की रणनीतियों पर काम कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक धक्के या आघात के रूप में आया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग द्वारा रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिये जाने की गम्भीर आलोचना की है। सी.जे.आई. ने कहा, "उन्हें (आज़म खान) को युक्तियुक्त समय दीजिये। इसे (अधिसूचना) को तीन दिन रोकिये। अन्यथा, आप चयनात्मक आधार पर ऐसा कर रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि दोषी की राजनैतिक सम्बद्धा क्या है।"

चुनाव आयोग ने शुरू में तो सर्वोच्च न्यायालय की बैंच के सुझाव पर आपत्ति की थी तथा कहा था कि अगर अपीलीय अदालत सजा पर स्टे दे देती है तो खान उपचुनाव के लिये के लिये अपना पर्चा भर सकते हैं। फैल पैनल की तरफ से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील अरविन्द दातार ने कहा ने कहा कि एक आपराधिक केस में दोष-सिद्ध हो जाने पर डिसक्वालिफिकेशन तो स्वतः सिद्ध ही था तथा इसलिये खान को राहत नही दी जानी चाहिये। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चुनाव आयोग द्वारा गजट-अधिसूचना जारी किया जाना 72 घंटे टाला जाये, जिससे खान को अपनी सजा पर स्टे प्राप्त करने की कोशिश करने का अवसर मिल सके।

सौम्या केस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद में कोर्ट के रुख को देखते हुए मतगणना पर अंतरिम रोक लगाने को कहा, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सौम्या ने अपने वार्ड के पार्षद पद के उप चुनाव को रोकने के लिए याचिका दायर की है, जबकि चुनाव मेयर पद के लिए होने जा रहे हैं। सौम्या की ओर से कहा गया कि उन्हें मेयर पद से हटाने का आदेश जारी करने में प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को राज्य सरकार को दो दिन तक कार्रवाई नहीं करने को कहा था। इसके तीन दिन तक अवकाश था, लेकिन सरकार ने इसके ठीक अगले दिन आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ता को अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करने का समय भी नहीं दिया गया। गौरतलब है कि ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह से अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करते हुए उन पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गडकरी ने पूर्व. प्र.मंत्री मनमोहन सिंह की भूरी-भूरी तारीफ की

गडकरी ने कहा, देश मनमोहन सिंह की नीतियों एवं कार्यों का सदैव ऋणी रहेगा

- **केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया।**

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंगलवार को प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए देश उनका ऋणी है। गडकरी ने यहां आयोजित टीआईओएल पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया।

उन्होंने पोर्टल टैक्सइंडिया ऑनलाइन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा, उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली। उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। गडकरी ने मनमोहन की नीतियों से नब्बे के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे।

गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए है। उन्होंने उदार आर्थिक नीति के माध्यम से देश का विकास करने में चीन को एक अच्छा उदाहरण बताया।

गडकरी ने भारत के संदर्भ में कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश को अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी।

नीरव मोदी की याचिका लंदन हाई कोर्ट से खारिज हुई

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने के रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। बता दें कि विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इस वक्त वह लंदन की जेल में बंद है। भारत लंबे वक्त से नीरव मोदी का प्रत्यर्पण चाहता है लेकिन ब्रिटेन में शरण लिए बैठा नीरव मोदी उस एक्शन से बचने के लिए लगातार अलग-अलग तर्क दे रहा है। ब्रिटेन हाई कोर्ट में नीरव के वकील बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है और भारत के जेल में जैसी स्थिति है, वहां पर वो सुसाइड भी कर सकता है। इसी तर्क के आधार पर अब तक उसके प्रत्यर्पण का विरोध किया जा रहा था।

खनन क्षेत्रों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने बताया कि प्रथम चरण में 11 नवम्बर से तहसील पहाड़ी के निकट ग्राम नांगल के खसरा संख्या 162 (नया खसरा सं. 211) में ड्रोन सर्वे की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन सुरेश कुमार यादव, खनिज अभियंता आर.एन. मंगल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतीश कुमार, भूरा बाबा, शिवदास बाबा, मुकेश कुमार, नगर, कामां, पहाडी, सीकरी के उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी सहित क्रशर संघ के पदाधिकारी एवं साधु समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे।

दक्षिण भारत में राज्यपालों के खिलाफ विद्रोह उफान...

- **राज्यपालों पर केन्द्रीय सरकार की कठपूतली होने का तीनों दक्षिण भारतीय राज्यों की सरकारें आरोप लगा रही हैं, लेकिन राज्यपालों को हटवाने की उनकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेलंगाना में विश्वविद्यालयों में हुई भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की टी.आर.एस. की भी कड़ी आलोचना के पात्र बनी हुई हैं।

द्रमुक के मुख पत्र "मुरासोली" ने आज राज्यपाल सौंदरराजन की टिप्पणी का जवाब दिया कि पार्टी का शीर्ष राजनैतिक परिवार तेलुगू मूल का है।

पत्र ने कहा है, "तेलंगाना की राज्यपाल को तमिलनाडु में राजनीति नहीं करनी चाहिये। यह उनका काम नहीं है। (पहले) वे इस्तीफा दें तथा (उसके बाद) तमिलनाडु में राजनीति करें।" पत्र ने आगे कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पहले ही "सीमाएं पार कर रहे हैं तथा गड़बड़ एवं उलझन पैदा करने वाली टिप्पणियाँ कर रहे हैं।"

"मुरासोली" आगे कहता है कि तमिलिसाई सुन्दरराजन को राजनैतिक एवं कानूनी मानकों के अंदर तथा राज्यों के सम्मान एवं गरिमा के अनुकूल काम करना चाहिये।

इस महीने के शुरु में द्रमुक ने "सभी समान विचारधारा वाले सांसदों को" पत्र लिखकर उनसे राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाये जाने की माँग का समर्थन करने का अनुरोध किया था क्योंकि वे "संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं।" पार्टी ने कहा था कि उनके काम और टिप्पणियाँ दर्शाती हैं कि वे इस पद के लिये "अनुपयुक्त" हैं। "मुरासोली" ने "समान विचारधारा वाले सांसदों से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है।

तमिलनाडु में 20 विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति/सहमति की प्रतीक्षा में हैं। अप्रैल में द्रमुक नेताओं ने आर.एन. रवि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुये कहा था कि वे नीट (एन.ई.ई.टी.) "एग्ज़ेम्पशन बिल" को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हैं, जबकि राज्य विधानसभा इसे दो बार पारित कर चुकी है।

तेलंगाना में भी वहां की राज्यपाल सौंदरराजन की भी राज्य सरकार से अनबन चल रही है। उन्होंने राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इन्द्रा रेड्डी को तलब किया है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप, राज्य के सभी 15 विश्वविद्यालयों के लिये साझा भर्ती बोर्ड (कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड) के गठन के विषय में चर्चा की जा सके।

सौंदरराजन ने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में कई रिमाइंडर देने के बावजूद रिक्तियां क्यों नहीं भरी गई।

टी.आर.एस. के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्यपाल को एक विधेयक भेजा था। यह उनके पास लम्बित उन आठ विधेयकों में से उनके अनुमोदन के लिए था जिसमें मैडिकल यूनिवर्सिटी को छोड़कर टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर सीधी भर्ती की मांग की गई थी। इस पर हस्ताक्षर करने से उनके इन्कार ने तेलंगाना विश्वविद्यालय के छात्रों तक को क्रोधित कर दिया था जिन्होंने उन्हें केन्द्र सरकार की कठपुतली बताते हुए इसके विरोध में बुधवार को राज भवन तक जुलूस निकालने की चेतावनी दी।

राज्यपाल सौंदरराजन ने राज्य सरकार पर शिष्टाचार के प्रोटोकॉल का अनुसरण ना करने का भी आरोप लगाया हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर जनता को सम्बोधित करने नहीं दिया गया। उन्हें राज्य विधानसभा के एक संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने से वंचित रखा गया।

इसके विरोध में राज्य सरकार का आरोप यह है कि राज्यपाल ने एक कैबिनेट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। इस प्रस्ताव में टी.आर.एस. नेता कौशिक रेड्डी को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद का सदस्य बनाने की बात थी।

केरल में आरिफ मोहम्मद खान जब से राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वह सभी से सी.पी.एम. (माकपा) नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार को आड़े हाथ लेते रहे हैं। उनका राज्य सरकार के साथ कठोर वाकयुद्ध चल रहा है। उन्होंने एर्नाकुलम गैस्ट हाउस में हुई एक प्रैस ब्रीफिंग में शीर्ष मलयालम टी.वी. चैनल्स के दो पत्रकारों को निष्कासित करके पत्रकारों का भी गुस्सा मोल ले लिया है।

राज्यपाल खान ने दोनों पत्रकारों और उनके चैनल्स पर पिनाराई विजयन सरकार का पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। राज्य के पत्रकार संगठन ने इस "अलोक तांत्रिक व्यवहार" के लिए यह कहते हुए उनकी भर्त्सना की कि यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने पत्रकारों को प्रतिबंधित किया है। पिछले माह उन्होंने कुछ पत्रकारों और "कॉडर मीडिया" के समाचार संस्थानों के लोगों को बुलाया था और यह आदेश दिया था कि जिस प्रैस कॉन्फैंस को वह संबोधित करेंगे उसमें आने की इन्हें अनुमति ना दी जाए।

पत्रकारों ने आज केरल श्रम जी वी पत्रकार संगठन के बैनर तले विरोध स्वरूप राज्यपाल भवन तक जुलूस निकाला।

सोमवार को खान ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि वह उनके ऑफिस में घुसने या सड़क पर उन पर हमला करके बताए। वह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) की उस घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया के रहे थे कि 15 नवम्बर को राज भवन के समक्ष एक भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

पार्टी का आरोप है कि राज्यपाल मुख्य विधायी कार्यों में विलम्ब करते रहे हैं।

गत 26 अक्टूबर को वाम पार्टी ने उनके एक आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस आदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति से इस्तीफा देने को कहा गया था क्योंकि राज्यपाल इसे कुलीन तंत्र का एक सिस्टम मानते हैं।

माकपा ने मांग की है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाए। पार्टी की योजना राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने को लेकर विभिन्न पार्टियों की दिल्ली में एक मीटिंग आयोजित करने की है।

कैबिनेट अप्रूवल के बाद भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रही है।

उसक तर्क है कि राज्यपाल कैबिनेट या विधान मंडल द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी अपील प्राधिकारी की भांति कार्य नहीं कर सकते।

संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। यदि राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा कोई विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह उसे वापस भेज सकते हैं और यदि मंत्रिमण्डल उस विधेयक को पुनः उनके पास भेजता है तो राज्यपाल उसे वापस नहीं भेज सकते।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908